[27/7/2022]

प्रश्न सं. [क्र. 883]

मध्य प्रदेश शासन वन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. एफ 05–05/06/10–4 भोपाल, दिनाँक 19/7/22

प्रति,

माननीय डॉ गोविंद सिंह,
नेता प्रतिपक्ष,
म.प्र.विधान सभा

विषय :– श्री आर.एस.सिकरवार **(भावसे–1999)** सेवानिवृत्त के ग्रेच्युटी एवं अवकाश नगदीकरण संबंधी प्रकरण का निराकरण।

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक 117/22 दिनांक 27.05.2022

––0––

उपरोक्त विषयांतर्गत कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। श्री रामस्वरूप सिकरवार अपनी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर दिनांक 31.12.2020 को सेवानिवृत्त हुए है।

विभाग के आदेश दिनांक 21.12.2020 द्वारा श्री सिकरवार को निलंबित कर मुख्यालय भोपाल में पदस्थ किया एवं वे दिनांक 31.12.2020 को निलंबन काल में ही सेवानिवृत्त हो गए।

श्री आर.एस.सिकरवार के निलंबन अवधि का निराकरण होने तक उनके अवकाश खाते में शेष अर्जित अवकाश का नगदीकरण नियमांतर्गत न होने से स्वीकृति प्रदान किया जाना संभव नहीं है। श्री सिकरवार के विरूद्व प्रचलित विभागीय जांच प्रक्रिया लंबित होने के कारण उन्हें प्रत्याशित पेंशन, समूह बीमा योजना, सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान स्वीकृत विभाग द्वारा दी गई है।

विभागीय जांच प्रचलित होने के फलस्वरूप **अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु सह सेवानिवृत्ति लाभ) नियम 1958 के नियम 6(2) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत** सेवानिवृत्ती पर विभाग की ओर से समेकित अमांग, अजांच, अधटना प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत महालेखाकर द्वारा पूर्ण पेंशन एवं ग्रेज्युटी (उपादान) प्राधिकार पत्र जारी किया जाता है। तद्उपरांत ही ग्रेज्युटी (उपादान) का भुगतान संभव है।

अतः श्री सिकरवार के विरूद्व प्रचलित विभागीय जांच प्रकरण का अंतिम निर्णय होने तक पूर्ण पेंशन एवं ग्रेज्युटी (उपादान) का भुगतान नियमानुसार संभव नहीं है। सूचनार्थ प्रेषित।

14/7/22

(पद्मप्रिया बालाकृष्णन)
सचिव
म.प्र.शासन वन विभाग

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, भोपाल